LT-3059/65

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
(Dated 25th September, 1965 as G.S.R.1398)
Asvina 3, 1887 Saka.

Government of India
Ministry of Steel and Mines
(Department of Mines & Metals)

.....

New Delhi: 10th September, 1965
Bhadra 19, 1887 Saka.

NOTIFICATION

No.1(33)/65-MII - In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Fourth Amendment) Rules, 1965.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, after rule 70, the following rule shall be inserted, namely:-

"71. Simultaneous applications: Where two or more persons have applied for a prospecting licence or a mining lease in respect of the same land, the State Government shall, for the purpose of sub-section (2) of Section 11, consider, besides the matters mentioned in clauses (a) to (c) of sub-section (3) of section 11, the end use of the mineral by the applicant."

Sd/-

(H.S. Sahni)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road,
New Delhi.

LT-3059/65

२५ सितम्बर , १९६५
(भारत के राजपत्र दि०-------------------- को
३ आश्विन, १८८७ शक
जी० एस० आर० १३९८ के रूप में प्रकाशित)

:::::::::::

भारत सरकार
इस्पात तथा खान मंत्रालय
(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली दिनांक २० सितम्बर , १९६५
२९ भाद्र , १८८७ शक

अ धि सू च न T

सं० १(३३)६५ - खान २ । ..... खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६७) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार खनिज रियायती नियम १९६० का और भी संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : -

१. (१) इन नियमों को खनिज रियायती (चौथा संशोधन) नियम १९६५ कहा जाय ।

(२) यह तुरंत प्रभावी होंगे ।

२. खनिज रियायती नियम १९६० में नियम ७० के बाद निम्न-लिखित नियम जोड़ा जाय ; अर्थात :-

"एक साथ आवेदन पत्र - जब दो या एक से अधिक व्यक्ति एक ही भूमि के लिये पूर्वेक्षण आज्ञा पत्र अथवा खनन पटटे के लिये आवेदन पत्र दें , तो राज्य सरकार खण्ड ११ अनुखण्ड ३ की धारा (क) से (ग) तक में दी हुई बातों के अलावा खण्ड ११ के अनुखण्ड (२) के प्रयोजन से आवेदक द्वारा खनिज के अन्तिम प्रयोग पर भी विचार करेगी ।"

ह० - एच० एस० साहनी
अवर सचिव भारत सरकार

सेवा में :-

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड ,
नई दिल्ली